

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART – II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

27/3/85
107

NOTIFICATION

23rd
New Delhi, the March, 2015

S.O.....(E). – Whereas an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic was signed on the 27th January, 1986 for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and the same was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, -Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.526 (E), dated the 25th of May, 1987;

And whereas the Slovak Republic is one of the independent States that have succeeded the Czechoslovak Socialist Republic;

And whereas under the applicable international laws regarding application of treaties in case of succession of States, this Agreement continues to be applicable in respect of the Slovak Republic, being one of the independent States to have succeeded the Czechoslovak Socialist Republic;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 119 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby clarifies that for the purposes of section 90 of the said Act, the Agreement signed between the Government of the Republic of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic on the 27th January 1986 for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income continues to be applicable to the residents of the Slovak Republic.

[Notification No. *25/2015* F.No. 501/12/1995-FTD-I]

Akhil Ranjan
(Akhil Ranjan)

Joint Secretary (FT&TR-I)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

23rd
नई दिल्ली, दिनांक मार्च, 2015

का. आ. (अ).--- जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच एक करार पर 27 जनवरी, 1986 को हस्ताक्षर किए गए थे; और उसे 25 मई, 1987 के संख्या सा.का.नि 526(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि स्लोवाक गणराज्य उन स्वतंत्र राज्यों में से एक है जो चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य के बाद अस्तित्व में आया है;

और जबकि राज्यों के उत्तराधिकार में संधियों के प्रयोज्यता के बारे में लागू अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत यह करार चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य के बाद अस्तित्व में आने वाले स्वतंत्र राज्यों में से एक होने के कारण स्लोवाक गणराज्य के बारे में लागू होना जारी रहेगा;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 119 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा स्पष्ट करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के 27 जनवरी, 1986 को हस्ताक्षरित करार उक्त अधिनियम की धारा 90 के प्रयोजनार्थ स्लोवाक गणराज्य के निवासियों पर लागू होना जारी रहेंगे।

[अधिसूचना सं. 25/2015 फा.सं: 501/12/1995-एफटीडी-1]

इति

(अखिलेश रंजन)
संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-1)